दैनिक जागरण
जो चीजें कष्ट पहुंचाती हैं, वही सिखाती भी हैं

# पाकिस्तान की मजबूरी

आखिरकार पाकिस्तान भारत के असैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने के लिए विवश हुआ। ऐसा करना उसकी मजबूरी ही रही, क्योंकि अभी कल तक वह यह कह रहा था कि भारत पहले अपने लड़ाकू विमानों को सीमांत इलाकों से पीछे हटाए। यही नहीं उसने अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की समय सीमा 26 जुलाई तक बढ़ा भी दी थी। चूंकि भारत ने पाकिस्तान की मांग पर गौर करने से इन्कार कर दिया था इसलिए यह माना जा रहा था कि वह भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद ही रखेगा, लेकिन अब उसने यकायक अपने फैसले को बदलना बेहतर समझा। पाकिस्तान ने फरवरी में बालाकोट में हवाई हमले के बाद से ही भारतीय यात्री विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस तरह के और हवाई हमले की आशंका के चलते उसने अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने में ही भलाई समझी। निःसंदेह इस पाबंदी के चलते भारतीय विमानन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा रहा था। यूरोप जाने वाले उनके विमानों को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही थी। निःसंदेह इस पाबंदी का सबसे अधिक नुकसान एयर इंडिया को उठाना पड़ रहा था, लेकिन खुद पाकिस्तान भी परेशान था। उसे हवाई पथ संबंधी शुल्क से वंचित होना पड़ रहा था। यह किसी से छिपा नहीं कि बीते कुछ समय से पाकिस्तान किस तरह गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इसी आर्थिक संकट ने पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोलने के लिए मजबूर किया।

यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा कोई आश्वासन देने से इन्कार किया कि उसकी हवाई सीमा का सैन्य अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। ऐसा आश्वासन तो तभी दिया जा सकता है कि जब पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को खत्म करने का न केवल आश्वासन दे, बल्कि उसे पूरा भी करे। उसके आश्वासन पर यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में उसकी कथनी और करनी के अंतर से पूरी दुनिया परिचित है। पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में कितना अगंभीर है, इसका पता इससे चलता है कि वह रह-रह कर उन्हीं आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाने की घोषणा करता है जिन्हें पहले ही कथित तौर पर प्रतिबंधित किया जा चुका होता है। यह भी जग जाहिर है कि वह भारत और साथ ही अफगानिस्तान के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को खुले-छिपे तौर पर समर्थन देता रहता है। आर्थिक संकट के साथ अन्य गंभीर समस्याओं से दो-चार होने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह समय पाकिस्तान पर किसी तरह की नरमी बरतने का नहीं, बल्कि उस पर दबाव बढ़ाने का है ताकि वह अपने रवैये में सचमुच तब्दीली लाए। भले ही पाकिस्तान यह रोना रो रहा हो कि संबंध सुधार में भारत का रवैया बाधक है, लेकिन सच्चाई यही है कि खुद उसकी अपनी हरकतों के कारण भारत उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान को यह संदेश बार-बार दिया जाए कि रिश्तों में बिगाड़ के लिए वही जिम्मेदार है।

# आरक्षण को हरी झंडी

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोगों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू कर दिया था, परंतु कई राज्यों ने केंद्र के उक्त आरक्षण को लागू नहीं किया था। खासकर वैसे राज्य जहां भाजपा का शासन नहीं है। ऐसा ही एक राज्य बंगाल भी है। जब इसका एलान हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आरक्षण को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए जमकर हमला बोला था, लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई तो ममता को लगा कि इस आरक्षण को लागू नहीं करने का आने वाले चुनावों और खासकर 2021 विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी के मद्देनजर कुछ दिन पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दस फीसद आरक्षण देने की घोषणा कर दी और किन्हें यह आरक्षण मिलेगा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। ममता सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (सवर्णों) को आरक्षण पर केंद्र की मोदी सरकार के मानदंडों को ही अपनाया है। कुछ दिन पहले राज्य सचिवालय नवान्न से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय आठ लाख रुपये या उससे कम होगी, सामान्य वर्ग के उन्हीं परिवारों के लड़के-लड़कियों को शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा मिलेगी। ऐसे परिवारों के मालिकाना हक वाली जमीन का परिमाण पांच एकड़ से अधिक भी नहीं होना चाहिए। शहर व उपनगरीय इलाकों में एक हजार वर्गफुट या उससे बड़ा फ्लैट होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पहले से एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े आरक्षण के दायरे में आते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अधिसूचना में कहा गया कि बताए गए सारे मानदंडों को पूरा करने वालों को ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद तय हो गया है कि ममता सरकार भी इस मामले में केंद्र के नक्शेकदम पर ही चली है और आरक्षण को हरी झंडी दे दी है।

# देवबंद से जवाब का इंतजार

आरिफ मोहम्मद खान

**देवबंद वाले हिदाया में जो कुछ लिखा है उसे शरीअत कहते हैं। दूसरी तरफ कुरान इंसानों की राय को नहीं, बल्कि अपनी आयतों को शरीअत कहता है**

पिछले कई दशक से जिहाद को लेकर एक बहस चल रही है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे संगठन जो आतंक और हिंसा की गतिविधियों में लिप्त हैं, अपने आप को मुजाहिद यानी जिहाद करने वाले कहते हैं और अपने संगठनों के लिए इस्लामी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यह स्वाभाविक है कि दूसरे लोग उनकी बात मानकर उनकी गतिविधियों को इस्लाम से प्रेरित मान लेते हैं। ये दोनों बातें उन लोगों के लिए कष्टदायक हैं जिन्होंने इस्लामी परंपरा का अध्ययन कुरान के माध्यम से किया है जहां जिहाद का तात्पर्य अपने अहम् और स्वार्थी इच्छाओं के विरुद्ध संघर्ष है जिसे जिहादे अकबर (महान संघर्ष) कहा गया है। कुरान हथियार उठाने की भी इजाजत देता है और कहता है, अनुमति दी गई है उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया है और निश्चय ही अल्लाह उनकी सहायता की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए.. केवल इसलिए कि वह कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। यदि अल्लाह लोगों को एक-दूसरे के द्वारा हटाता न रहता तो मठ और चर्च और यहूदी प्रार्थना भवन और मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है सब ढहा दिए जाते। (22.39-40)

कुरान की इस आयत से साफ है कि हथियार उठाने की इजाजत केवल उन लोगों को है जिन पर जुल्म किया गया हो, जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर बेघर किया गया हो। इसके साथ ही कुरान उस सनातन सिद्धांत की भी बात करता है कि समय का चक्र बदलता रहता है और अगर दुनिया में शक्ति का संतुलन बनाकर न रखा गया होता तो सभी परंपराओं के पूजा घरों जहां ईश वंदना होती है, को ध्वस्त कर दिया गया होता।

मैंने जब तक मुस्लिम कानून की 800 वर्ष पूर्व इमाम मरगीनानी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिदाया नहीं पढ़ी थी तो मुझे आश्चर्य होता था कि जो लोग हिंसा और आतंकवाद कर रहे हैं वे अपने आप को इस्लाम से कैसे जोड़ते हैं? यह पुस्तक आज भी देवबंद, नदवा और दूसरे मदरसों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस किताब को पढ़कर मैं हैरान रह गया कि इसमें हर उस बात या काम को जो आतंकी करते हैं, सही ठहराया गया है, बल्कि इससे आगे बढ़कर देवबंद के उलमा ने किताब के प्रावधानों पर जो टीका लिखी है वह तो हिदाया के अपने प्रावधानों को भी पीछे छोड़ देती है।

उदाहरणतया अशरफुल हिदाया (हिदाया की टीका) में मुरतिदों (धर्मभ्रष्ट मुसलमान) के बारे यह लिखा है कि उनसे तौबा करने की मांग की जाएगी और तौबा से इन्कार की सूरत में मुरतिद को कत्ल कर दिया जाएगा। इस पर टिप्पणी करते हुए मौलाना सैयद अमीर अली और मौलाना मोहम्मद अजमतुल्ला (देवबंदी उलमा) ने लिखा है और थोड़ी मुश्किल भाषा के बावजूद मैं उन्ही के शब्दों का प्रयोग करूंगाः 'वाजह रहे कि दौरे हाजिर में फितना कादियानियत, आगा खानियत, राफजियत, बहाइयत का यही हुक्म है, क्योंकि ये लोग भी गुलाम अहमद कादियानी, आगा खान, अइम्मा असना अशरा (बारह इमाम जिनके प्रति आम तौर से सभी और खास तौर से शिया मुसलमान विशेष श्रद्धा रखते हैं) और मुहम्मद अटकी बहाई वगैरह की लफजन या मानवी नबुव्वत के न सिर्फ कायल हैं, बल्कि उन की इशाअत पर भी मुसिर वो मसरूफ हैं।' (अशरफुल हिदाया खंड 7 पृष्ठ 36)

अवधेश राजपूत

यह पढ़ने के बाद मैंने अपने एक जानने वाले देवबंदी आलिम से पूछा कि मैं स्वयं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं जो इमामों की याद में मनाए जाते हैं और मैंने कभी किसी शिया को यह कहते नहीं सुना कि वह इमामों को नबी मानते हैं फिर हिदाया में यह बात क्यों लिखी है? उन्होंने जवाब दिया कि यह लोग मुंह से ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर वे सारे इमामों की इस्मत (शुचिता) को मानते हैं तो यह उनको नबी मानने के बराबर है।

अब आप गौर करें कि अगर हम देवबंद की इस दलील को मान लें तो फिर हमारा यह दायित्व हो जाता है कि उन लोगों को जिनका उल्लेख किया गया है, धर्मभ्रष्ट मानें और फिर उनके साथ वह करें जो नुस्खा हिदाया में लिखा हुआ है। कल्पना करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। शायद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पाकिस्तान में जिस तरह जुमे की नमाजों में बम चलाए जाते हैं या सीरिया में यजीदी संप्रदाय पर जो जुल्म हो रहे हैं वे इसी प्रकार की शिक्षा का परिणाम हैं।

कुरान उन आयतों से भरा पड़ा है जिनमें कहा गया है कि आस्था मन का विषय है, शरीर का नहीं। धर्म दिल से माना जाता है, शारीरिक प्रताड़ना से नहीं। कुरान स्पष्ट शब्दों में एलान करता हैः धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं (2.256) या तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिये मेरा धर्म है। (109.6)

इससे भी आगे बढ़कर कुरान कहता हैः यदि तुम्हारा रब चाहता तो धरती में जितने लोग हैं सबके सब ईमान ले आते, फिर क्यों तुम लोगों को विवश करोगे कि वे ईमान वाले हो जाएं (10.99)। इसी के साथ कुरान कहता हैः हमने तुममें से हर एक के लिए एक कानून और खुला रास्ता बनाया है। यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक समुदाय बना देता। (5.48)

कुरान की इन बहुत सी आयतों को ध्यान में रखकर अब आप एक नजर उस पर डालें जो देवबंदी उलमा ने अशरफुल हिदाया में लिखा हैः शरीअत में जिहाद दीने हक की तरफ बुलाने और जो उसे कुबूल न करे उससे किताल (लड़ाई) करने को कहते हैं। (खंड 7 पृष्ठ 17) इसी तरह जिहाद का जो मकसद है यानी मुल्क से फसाद, बुराइयां शिर्क (बुतों की पूजा) और कुफ्र के फितने को दूर करके अल्लाह ताला की तौहीद और अदल को कायम करना। (खंड 7 पृष्ठ 18)

और हमारी दलील यह है कि बुत परस्तों को गुलाम बनाना जायज है इसलिए उन पर जिजया लाजिम करना भी जायज हुआ, क्योंकि गुलाम बनाने और जिजया वसूल करने में से हर एक काम से उनकी हैसियत और शख्सियत को छीनना लाजिम आता है ताकि वे फसाद न करें। (खंड 7 पृष्ठ 111)

यह किताब इसी तरह की बातों से भरी पड़ी है और देवबंद वाले इसे शरीअत कहते हैं। दूसरी तरफ कुरान इंसानों की रायों को नहीं, बल्कि अपनी आयतों को शरीअत कहता है। मैंने 22 मार्च 2008 में देवबंद वालों को खत लिखकर अनुरोध किया था कि आज हिदाया किसी देश का कानून नहीं है इसलिए या तो इसे पाठ्यक्रम से निकाल दें या फिर इसको मुस्लिम कानून के इतिहास के रूप में पढ़ाएं और इसे शरीअत न कहें। देवबंद ने मुझे पावती की रसीद भेजी और जवाब देने का वादा किया, लेकिन मैं आज तक उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

# गरीबी की पहचान का तरीका

एनके सिंह

**अपनी सबसे बड़ी समस्या यानी गरीबी से लड़ने के लिए हम आज तक उसकी सही तरह से पहचान भी नहीं कर सके हैं**

अगर एक व्यक्ति की ठीकठाक आमदनी है, लेकिन उसके बच्चे स्कूल दूर होने के कारण पढ़ने नहीं जा पाते या उसे पीने का पानी तीन किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है अथवा स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में उसके बच्चे पांच साल की उम्र पूरी करने के पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं या फिर रसोई गैस के अभाव में उसकी पत्नी को दमे की बीमारी हो जाती है तो क्या उसे गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर माना जाएगा? अगर उसे इनमें से कुछ सुविधाएं हासिल हैं और कुछ नहीं तो ऐसे परिवार या व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अगर इस व्यक्ति के परिवार में एक बच्चा पोषित हो, लेकिन दूसरा कुपोषित तो परिवार की आय के आधार पर उसे गरीब नहीं माना जाएगा? आर्थिक मापदंडों पर गरीबी मापने की एक गलत अवधारणा से देश के करोड़ों लोग गरीबी की त्रासदी झेलते हुए भी इस श्रेणी में मिलने वाली सहायता से वंचित रहे हैं। गरीबी निर्धारण के अब तक मान्य तरीके से प्रति व्यक्ति आय यानी सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाल लिया जाता था, बगैर यह सोचे हुए कि इस आय में देश के तमाम कारोबारी दिग्गजों के साथ ही गांव के गरीब-गुरबों की आमदनी भी शामिल है। बाद में इसमें बदलाव किया गया और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के आधार पर बहुआयामी गरीबी को दस पैमानों पर मापने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन भारत में फिर भी आर्थिक आधार को प्रमुख कारक माना गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में घूम-घूम कर भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। मानव सभ्यता का ज्ञात लिखित इतिहास करीब तीन हजार साल का है, लेकिन हम सबसे बड़ी समस्या यानी गरीबी की सही पहचान आज तक नहीं कर सके हैं।

भला हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक (आइएचडीआइ) के संयुक्त प्रयास का और साथ ही कुछ अन्य शोधकर्ताओं की मेहनत का कि उन्होंने विश्व का ध्यान आर्थिक गरीबी से हटाकर बहुआयामी गरीबी और उसमें भी कुछ नए पैमानों की ओर खींचा। उनकी ताजा संयुक्त रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं जो भारत सहित दुनिया के तमाम अविकसित और विकासशील देशों की सरकारों को जहां अपनी जनकल्याण नीति को बदलने पर मजबूर करेंगे वहीं अपने समाजों को भी अपनी नकारात्मक सोच बदलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार, एक ही क्षेत्र के दो देशों में गरीबी का स्तर काफी अलग-अलग है। अरब देशों में जहां यमन में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता 47.7 प्रतिशत है जबकि पड़ोस के जार्डन में मात्र एक प्रतिशत। दक्षिण अमेरिका के हैती में 41.4 फीसद, लेकिन त्रिनिदाद एंड टोबैगो में केवल 0.6 प्रतिशत। यह भी पाया गया कि किसी देश में पुराने पैमाने के आधार पर गरीबों की संख्या अधिक हो, लेकिन तीव्रता कम जैसे पाकिस्तान और म्यांमार में गरीबी का प्रतिशत (38.3) एक है, मगर उसकी तीव्रता पाकिस्तान में 51.7 प्रतिशत जबकि म्यांमार में 45.9 प्रतिशत है। यानी पाकिस्तान में जो गरीब है वह हर पैमाने पर अभाव का दंश झेल रहा है।

कुछ देशों में पाया गया कि एक ही गरीब घर का एक बच्चा कुपोषित है और दूसरा पोषित। इसका कारण सामाजिक है और परिवारों की सोच का स्तर है। एक ही क्षेत्र में कुछ सौ किलोमीटर के अंतर पर गरीबों में भयावह गरीबी है और दूसरे ऐसे ही क्षेत्र में यह अंतर काफी कम है। इस ताजा अध्ययन की खास बात यह है कि इसमें गरीबी को न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के दस पैमानों पर मापा गया है, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों में पानी की अलग-अलग उपलब्धता या हासिल करने में कठिनाई, शिक्षा के लिए स्कूल की दूरी, खाना बनाने के लिए रसोई गैस, स्वच्छ पानी, बिजली आदि को भी शामिल किया गया है। गरीबी की तीव्रता यानी इंटेसिटी और गरीबी की कमी में फर्क यह है कि संभव है एक व्यक्ति को बिजली या गैस की सुविधा मिल जाए, परंतु स्वच्छ पानी के लिए उसे दो किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो या बीमारी की वजह से उसने अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवा दिया हो।

अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के 123 करोड़ बहुआयामी गरीबों में 88 करोड़ यानी लगभग दो-तिहाई मध्यम आय वाले देशों में हैं और बाकी निम्न आय वाले देशों में। इसका अर्थ है कि सरकारों का केवल जीडीपी बढ़ाने पर जोर देना अक्सर हानिकारक परिणाम भी दे सकता है, अगर उसका चौतरफा लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। वैसे तो वर्ष 2010 से 2015 तक विश्व बैंक और यूएनडीपी में वास्तविक गरीबी मापने के लिए बहुआयामी सूचकांक बनाए, पर उनसे सही आकलन नहीं हो पा रहा था। ताजा अध्ययन में जब गरीबी की तीव्रता और बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों को विखंडित करके देखा गया तब पता चला कि कोई व्यक्ति एक आंकड़े में ऊपर है, लेकिन अन्य मापदंड में काफी नीचे। जैसे मिस्र और पराग्वे में बहुआयामी गरीबी तो एक ही स्तर पर है, लेकिन गरीबी की तीव्रता यानी एक ही व्यक्ति का तमाम अन्य पैमाने पर अक्षम होना पराग्वे में काफी अधिक है।

इन नए आंकड़ों के आधार पर दुनिया के कुल 130 करोड़ गरीबों में आधे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनमें भी दस साल से कम उम्र वाले बच्चों की तादाद लगभग एक तिहाई है। क्या इन नए आंकड़ों के आलोक में भारत सरकार अपनी आर्थिक विकास पर आधारित नीतियों की जगह समेकित विकास की नीति लाने की कोशिश करेगी। ऐसा करने का मतलब होगा किसी गांव या शहर की गरीब बस्ती में आय बढ़ाने के साथ ही बिजली, पानी, शिक्षा, रसोई गैस, अस्पताल मुहैया कराना। हैरानी की बात यह है कि नई परिभाषा के तहत गरीबी केवल निर्धन, निम्न या निम्न-मध्यम आय वाले देशों में नहीं माध्यम आय वाले देशों में भी बड़ी संख्या में है यानी 130 करोड़ में 88.6 करोड़ गरीब हैं। यह सरकारों के लिए संदेश है कि आय तो बढ़ाएं, लेकिन इससे बहुआयामी अभाव को भी कम करने के उपक्रम करें।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### धैर्य

जीवन में सफलता और अपने सपनों को साकार करने के लिए धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन में अनेक दुश्वारियां आती हैं जिससे व्यक्ति का मन विचलित होने लगता है। हिम्मत और साहस टूटने लगते हैं, पर धैर्य ही एक ऐसा अस्त्र होता है जो उम्मीदों को मन में दृढ़ता से संजोए रखता है। मानवीय जीवन महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ होता है। ऐसे में महत्वाकांक्षाओं को जल्दी पूरा करना भी मनुष्य का लक्ष्य होता है। यही उतावलापन उसे अनेक गलतियों की ओर धकेलता है जिससे व्यक्ति अपेक्षित परिणाम न मिलने से टूट जाता है। इस अवस्था में भी धैर्य व्यक्ति को ढांढ़स दिए रहता है। दुनिया में इसके तमाम उदाहरण हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले दस हजार बार असफल प्रयास किया था। बावजूद इसके जब उन्होंने सफलता पाई तो उनके शब्द थे 'मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे हजार रास्ते खोजे जिनसे सफलता नहीं मिल सकती।'

धैर्य अनेक मानवीय गुणों की जननी है। धैर्य व्यक्ति में अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प की भावना को जीवित करता है। संकल्पित व्यक्ति अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। संकल्प का भाव व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने तक आत्मविश्वास को जगाए रखता है, परंतु इसका उद्गम स्त्रोत धैर्य ही माना जाता है। इस प्रकार धैर्य और संकल्प दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं जो मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास को जगाते हैं जिसके कारण व्यक्ति समर्पित भाव से अपनी ऊर्जा को लक्ष्य-प्राप्ति की ओर लगाता है।

धैर्य व्यक्ति में अतिमहत्वाकांक्षा को भी कम किए रहता है जिससे व्यक्ति पथ भ्रष्ट होने से बचा रहता है। धैर्य अंतरात्मा में विश्वास बनाए रखता है जो मन को एकत्रित किए हुए रहता है जिससे ध्यान-केंद्रित करने में सहायता होती है। इसके द्वारा मन में उठती प्रबल इच्छाओं को संतुलित किया जा सकता है। चाणक्य ने भी कहा है कि 'धैर्य हो तो दरिद्रता भी शोभा देती है, धुले हुए हों तो फटे वस्त्र भी अच्छे लगते हैं और सुंदर स्वभाव के कारण कुरूपता भी शोभा देती हैं।' अतः सफलता पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अंदर धैर्य उत्पन्न करे जो आज के प्रतिस्पर्धी युग में खत्म होता जा रहा है।

शिवांशु राय

# भक्ति और प्रेम का पवित्र महीना

देवेंद्रराज सुथार

**जहां ग्रीष्म में अलग है तो सावन और श अलगाव लगाव में प जाता है**

सावन का महीना दस्तक दे चुका है। बेशक! मौसम मानव को अत्यधिक प्रभावित करता है। जहां ग्रीष्म में अलगाव दिखता है तो सावन और शीत में वही अलगाव लगाव में परिवर्तित हो जाता है। जहां तक सावन की बात करें तो एक अजीब-सी आकर्षण शक्ति है इसमें। जिसके जादू से हर कोई इसके मोहपाश में बरबस ही दौड़ा चला आता है। गर्मी के तीखे तेवर से व्यथित लोगों को झमाझम बारिश की बूंदें शांत कर देती हैं। सर्वत्र शीतलता का स्पंदन होने लगता है। आखिर प्रकृति इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। मानव मन तो आदिकाल से ही हरियाली और हरा देखने के लिए बेचैन रहा है। प्रकृति की अनुपम छटाएं भला किसे नहीं भाएंगी? सावन के इस माह में मनुष्य और प्रकृति के मध्य की दूरी कम हो जाती है। मानव प्रकृति के अधीन शरणागत हो जाता है। वैसे भी मानव प्रकृति के अधीन ही तो रहा है। शायद! मशीनी युग ने इस बात में भी विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है।

सावन को बरसते देख भूली-बिसरी स्मृतियों का कारवां मानस पटल पर पुनर्जीवित हो उठता है। शिव पर बेलपत्र चढ़ाती और दुग्धाभिषेक करती नवयुवती को देख ल केवल शिव को ही प्रसन्न है। शिव के प्रसन्न होने से मनचाह पति मिलने की बा से होती आई है। इसमें शि० के लिए अपनाया जा रहा ह भगवान को भी नहीं छोड पशु-पक्षी, मानव के साथ हर स्तंभ और घटक पर अ फिल्म जगत का गढ़ बॉली० प्रशंसा करते नहीं थका है। सावन को खुश करने और सावन से खुश होकर कितने और कैसे-कैसे गीत लिखे गए हैं।

चाहे वह हिंदी साहित्य का मध्ययुग हो जिसमें तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों ने पावस ऋतु का सुंदर और सरस चित्रण किया है या आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा द्वारा लिखीं वर्षा संबंधी कविताएं हों सबने जैसे साक्षात बारिश को जीने के गुर दिए हैं। यह सच है कि घाघ कवि की कहावतों वाला सावन आज कहीं दिख नहीं रहा है। इंटरनेट और आधुनिकता ने सावन का असली आनंद गायब कर दिया है। आज के इस इंटरनेट के युग में अब कोई यक्ष अपनी प्रेयसी यक्षिणी को मेघ के माध्यम से संदेशा भेजने का साहस नहीं दिखाता है। अब तो मेघों के माध्यम से संदेशा भेजना तो दूर की कौड़ी चिट्ठियों के दौर को भी आधुनिकता ने निगल लिया है। अब तो सावन मोबाइल की सात इंच की स्क्रीन तक सिमट कर रह गया है। वन और वृक्षों का इस गति से सफाया होता गया कि सावन की हरियाली नदारद होती गई। भगवान शिव को भी जंगल की गुफाओं से लाकर अट्टालिकाओं के गृहगर्भ में शिफ्ट कर दिया गया। लगता है रूठ गया है सावन। इसलिए भी कि जिन अंग्रेजों की तपती जुल्म की गर्मी से राहत दिलवाकर शहीदों ने भारतवर्ष में सावन लाया था, उस सावन का तथाकथित जनसेवकों ने सत्यानाश कर दिया। लगता है कि अब भारतीय जनता के भाग्य में केवल तपना ही लिखा है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### शिक्षा का निजीकरण नहीं सामाजीकरण हो

निजीकरण की चपेट में शिक्षा शीर्षक से गत दिनों लिखे अपने लेख में गिरीश्वर मिश्र ने देश में पैर पसारती स्ववित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, वह केवल एक शिक्षाविद की पीड़ा मात्र न होकर भारत के विकास को अवरुद्ध करने वाली एक ऐसी रुग्ण व्यवस्था है, जिसका समय रहते निदान जरूरी है। माना कि बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से शिक्षा का निजीकरण इस देश की मजबूरी है, लेकिन आज निजीकरण की ओट में फलने-फूलने वाले शैक्षिक उद्योग को जिस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। शिक्षा का निजीकरण बुरा नहीं है, बुराई इसके नियमन और प्रबंधन में है। एक ही विश्वविद्यालय के प्रशासन में सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ स्ववित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं के घालमेल से ठीक से संचालित होने वाली अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नई शिक्षा नीति में इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्ववित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की जाए जो इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखकर इनकी मनमानी पर अंकुश लगा सके। व्यापारिक दृष्टि से संचालित हो रही निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्ववित्त पोषित शिक्षा के नियमन और नियंत्रण के लिए एक निकाय स्थापित कर अखिल भारतीय स्तर पर निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए श्रेष्ठ प्रबंधन और प्रशासन की एकरूपता विकसित की जाए। इस प्रकार सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं और स्ववित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग-अलग प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था निर्धारित करके शिक्षा के निजीकरण को सामाजीकरण में परिवर्तित कर शिक्षा की निरंकुश होती निजीकरण व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा सकता है। निजता की पर्याय बन रही स्ववित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधकीय और प्रशासनिक दृष्टि से सामाजीकरण होना शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए जरूरी है।

pandeyvp1960@gmail.com

### कोलेजियम प्रणाली खत्म हो

संपादकीय 'कोलेजियम पर सही सवाल' पढ़ा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन हमारे यहां न्यायाधीश को ईश्वर तुल्य माना जाता है। उनके खिलाफ बोलना और लिखना भी अपराध माना जाता है। लेकिन अब उन पर संसद में भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक सांसद ने कोलेजियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जातिवाद, परिवारवाद से लेकर पेशेवर निकटता जैसे पहलुओं का बोलबाला रहता है। इसलिए सामान्य परिवार से कानून के क्षेत्र में आए लोगों के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का जज बनना बड़ा मुश्किल है। तात्कालीन सरकारें भी अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही इस पद में नियुक्त करवाती रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कई जज भी विशेष राजनीतिक दल को सपोर्ट करते रहे हैं। हाल ही में इलाहबाद हाई कोर्ट के एक जज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर इस प्रणाली पर सवाल उठाया था। उनका कहना था नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जा रहीं। उन्होंने सुझाव दिया था कि सिविल सेवा की तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये नियुक्तियां की जाएं ताकि सामान्य लोग भी शीर्ष न्यायपालिका में जा सकें।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

### भाषा पर न हो राजनीति

हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बेशक न हो, राजभाषा जरूर है। देश में सर्वाधिक 57 फीसद लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, जबकि 10 फीसद ही लोग अंग्रेजी समझ व बोल पाते हैं। ऐसे में एमडीएमके दल के अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य वायको का ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी के हिंदी प्रयोग से सदन में बहस का स्तर छोटा हो गया है, मानसिक गुलामी को दर्शाता है। वायको को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरों सहित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में भी ज्यादातर हिंदी में ही भाषण देते हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को पिकनिक प्रधानमंत्री कहना राजनीतिक द्वेष व क्षुद्र राजनीति को ज्यादा उजागर करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होने के नाते नेताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे विभिन्न भाषाओं का आदर सम्मान करने के साथ ही देश के किसी भी छोटे-बड़े नेताओं के प्रति अमर्यादित शब्दों के चयन से बचें। राजनीति में दलीय रणनीति का समावेश तो होता है, लेकिन आचरण विहीनता राजनीति के स्तर को जरूर छोटा कर देती है।

दीपक गौतम, सोनीपत

**इस स्तंभ** में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत्र इस पते पर भेजें :**
दैनिक जागरण